महत्वपूर्ण एवं खास

दो खेत से 03 सोलर प्लेट चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ के ग्राम छोटे मुडपार में खेत पर लगे 03 सोलर प्लेट को अगात आरोपी द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दो कृषक द्वारा दर्ज कराया गया है । रिपोर्टकर्ता गनपत पटेल 45 वर्ष द्वारा इनके खेत पर लगे सोलर ऊर्जा पम्प के लिए लगे 16 नग सोलर प्लेट से 01 नग सोलर प्लेट को दिनांक 27.05.19 को अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । रिपोर्टकर्ता रामधर पटेल 62 वर्ष निवासी ग्राम छोटे मुडपार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके खेत पर सोलर ऊर्जा पम्प के लिए लगे 16 सोलर प्लेट से 02 नग सोलर प्लेट को दिनांक 27.05.19 की रात्रि कोई अज्ञात चोरी कर ले गया है । दोंनो रिपोर्ट पर अगात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 242, 243/19 धारा 379 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

मोटर सायकल चालक ने सायकल चालक को मारी ठोंकर, दुर्घटना में दोंनो घायल

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली (जुटमिल) राइनो को रोड एक्सीडेंट पर कोसमंदा के लिए रवाना किया गया । जहां मोटर सायकल का चालक युद्धिष्ठर बैरागी पिता गणेश बैरागी 55 साल निवासी कोसमंदा द्वारा सायकल के चालक निर्मल खडिया पिता सन्यासी उम्र 23 साल निवासी नवापारा पुसौर को ठोंकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था । दुर्घटना में मोटर सायकल तथा सायकल चालक को चोंटें आयी था । आहतों को डायल 112 स्टाफ द्वारा CHC पुसौर में भर्ती कराया गया ।

अमझर में हमर गाँव हमर पुलिस चलित थाना कार्यक्रम का आयोजन

न्याय साक्षी/रायगढ़। गोड़म सारंगढ अंतर्गत ग्राम पंचायत अमझर में 31माई को हमर गांव हमर पुलिस चलित थाना का आयोजन किया गया,जिस पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ (जितेंद्र कुमार खूंटे) के सान्निध्य में थाना सारंगढ़ के स उ नि देवनाथ साहू प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर पण्डा के द्वारा ग्रामीणों को यातायात अधिनियम, मानव तस्करी, बाल अपराध, आनलाइन, ठगी, पास्को एक्ट, महिला उत्पीडन्, चीट फंड कम्पनी, बाल विवाह आदी विषयो पर विस्तृत रूप से जानकारी दिये इस तरह पुलिस अधिकारियों द्वारा गाडी चलाते समय हेल्मेट अनिवार्य रूप से धारण करे साथ ही गाड़ी का कागजात बिमा साथ मे रखे ए. टी. एम, फ्राड, ए. टी. एम, क्लोन साथ ही नशा मुक्त गांव बनाने का सुझाव महिला समूह, गांव के पंच, सरपंच को सुझाव दिये जिसमे गांव के सरपंच,पंच,गणमान्य नागरिक भारी संख्या मे उपस्थित हमर पुलिस हमर गांव को सफल बनाने के लिए विशेष रूप से सहयोग दिया।

भाजपा के मीडिया प्रभारी को रातों रात पुलिस ने किया गिरफ्तार

न्याय साक्षी/पत्थलगांव। आदिवासियों को धोखा देकर मुआवजे की राशि को डकारने के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने महीनों से फरार चल रहे पत्थलगॉव प्रेस कल्ब के पूर्व अध्यक्ष ,वरिश्ठ पत्रकार , वर्तमान पार्शद एवं भाजपा नेता श्यामनारायण गुप्ता को घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसडीओपी अभिषेक झा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी श्यामनारायण गुप्ता विगत 6 महीनों से फरार चल रहा था जिसके विरुद्ध आदिवासियों की जमीन के मुआवजे की राशि 49 लाख को बंदरबाट कर करीब 28 लाख रुपए की हेराफेरी की गई थी और अपने खाते में भी लाखों रुपए चेक के माध्यम से आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर ट्रांसफर कराया गया था पत्थलगांव थाने में मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। झा ने बताया कि आरोपी के मोबाइल लोकेशन को लगातार खंगाला जा रहा था जिसका ठिकाना बार बार बदल रहा था बीती रात एसडीओपी अभिषेक झा ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर श्यामनारायण के घर की घेराबंदी की जिसके बाद वह बगल के एक घर में छिप गया। जिस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था लेकिन टीम ने हार नही मानी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस वहां डटी रही और आरोपी को गिरफ्तार कर कमरे से निकालकर थाने ले आये। उन्होंने बताया कि मामले से जुड़े सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

क्या था मामला-

करीब 49 लाख रुपए मुआवजा गबन के मामले में जब आदिवासी परिवार को जानकारी हुई कि की पूरी राशि में करीब 28 लाख रुपए को बैंक के सहयोग से श्यामनारायण द्वारा हेराफेरी किया गया है और चेक के माध्यम से अपने खाते में डाल लिया गया है तो इस मामले की शिकायत कलेक्टर जशपुर को की गई थी जिसकी जांच का जिम्मा एसडीएम को दिया गया था जहां से जांच उपरांत एसडीएम ने मामले में प्रथम दृष्ट्या अपराध पाते हुए कलेक्टर को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जहां से कलेक्टर ने एसडीएम को एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे जिसके बाद पत्थलगांव थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जहां पत्थलगांव थाना प्रभारी ओपी ध्रुव ने पदस्थापना होते ही इस मामले पर 420, 467, 468,120 बी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था जिसके बाद अब आरोपियों की धर पकड़ शुरू

कर दी गई है टीआई ने बताया कि मामला विवेचना में है जिसमें कई बिंदुओं पर जांच जारी है।

शादी घर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 16 घायल

न्याय साक्षी/जशपुर। जशपुर जिले के गाढ़ा गम्हरिया गांव में शादी कार्यक्रम में लोग खुशी से झूम रहे थे. घर में सभी ओर खुशनुमा माहौल था. आंगन में लोग नाच रहे थे. तभी आकाशीय बिजली गिर गई. इसकी चपेट में आने से घटना स्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं 16 लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए संजीवनी एक्सप्रेस 108 की मदद से अस्पताल लाया गया.

जानकारी के मुताबिक के जिले मनोरा विकासखंड के केराकोना का रहने वाला 40 वर्षीय अधेड़ रूशनाथ भगत शादी कार्यक्रम में शामिल होने शहर से लगे गाढ़ा गम्हरिया आया हुआ था.

गांव में रिश्तेदार की शादी थी. शादी कार्यक्रम में खुले आसमान में सामूहिक नृत्य कर रहे थे. इस दौरान मौसम अचानक बिगड़ गई. तेज कड़क के साथ आकाशीय बिजली गिर गई. नृत्य कर रहे रूशनाथ चपेट में आ गया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अन्य 16 लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया।

खरसिया क्षेत्र में दिनदहाड़े ट्रांसपोर्टर का हुआ अपहरण

» जनता(जोगी)कांग्रेस के विनय पांडे सहित पाँच पर अपहरण का मामला हुआ दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। खरसिया थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरसिया क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे के लगभग खरसिया के ट्रांसपोर्टर एवं व्यापारी प्रेमचंद अग्रवाल पिता मालू राम अग्रवाल को खरसिया जनता कांग्रेश जेके विनय पांडे तरुण ठाकुर मोनू केसरी शाहबाज खान संतोष यादव धीरज एवं अन्य के द्वारा जमीन दिखाने के नाम पर फोन करके खरसिया थाना अंतर्गत ग्राम चौराहा बुलाया गया जहां पर ट्रांसपोर्ट एवं व्यापारी प्रेमचंद अग्रवाल को चाकू की नोक पर उनके गाड़ी सहित अपहरण कर उनसे कोरे चेक में हस्ताक्षर करा कर मोटी रकम की मांग करने लगे जिस पर बड़ी मुश्किल से प्रार्थी अपनी जान बचाकर उनके चंगुल से भागा जिसकी लिखित रिपोर्ट प्रार्थी के द्वारा खरसिया थाना में दर्ज कराए जाने पर कलसिया थाना प्रभारी के द्वारा एसडीओपी खरसिया गरिमा द्विवेदी के निर्देश पर विनय पांडेय मल्हार सहयोगी यों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 365 ,343 ,323 व 147 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना में लेकर आरोपियों की पता शादी में जुट गई है।

जिले के विकास कार्य प्राथमिकता की श्रेणी में-प्रभारी मंत्री श्री पटेल

» सीएसआर मद से होगा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनकल्याणकारी कार्य

न्याय साक्षी/जशपुर। उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के उद्योग संचालकों की बैठक लेकर सीएसआर के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री यशवंत कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, खनिज विभाग के उप संचालक श्री एस.एस.नाग, सभी उद्योगों के

सीएसआर प्रभारी उपस्थित थे। उन्होंने संचालकों से विगत पांच वर्षो के अंतर्गत सीएसआर के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों के बारे में एक-एक करके जानकारी लेकर जवाब-तलब किया और उद्योग संचालकों के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण नाराजगी व्यक्त की। प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल ने कहा कि जिले का विकास कार्य हमारी प्राथमिकता की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण कार्य एवं जनकल्याणकारी कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन के पास प्रस्तुत करें, ताकि प्राथमिकता के श्रेणी में विभिन्न विकास कार्यों को पूर्ण कराया जा सके। उन्होंने खनिज अधिकारी को विगत पांच वर्षो के दौरान उद्योग विभाग के द्वारा कराए गए सीएसआर के कार्य में स्वीकृत, अस्वीकृत लागत इन सबकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने संचालकों को अवगत कराते हुए कहा कि जिला प्रशासन के बिना अनुमति से कराए जाने वाले कार्यों की गणना सीएसआर में नहीं होगी, इसके लिए उद्योग प्रबंधक स्वयं जिम्मेदार है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480